

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरबन्ध पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा- वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम, लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध, उपशीर्ष-0109-कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण, विषय शीर्ष-0109-52-01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय, मांग संख्या-26, विपत्र कोड-26-2230011010109 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से नियोजन भवन के ऊपरी हिस्से (DOME) में Facade Lighting हेतु कुल ₹2,48,980 (दो लाख अड़तालीस हजार नौ सौ अस्सी रुपये)/-मात्र के राशि के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निर्देशानुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियोजन भवन के ऊपरी हिस्से (DOME) में Facade Lighting हेतु विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-421 दिनांक-05.03.2026 द्वारा ₹4,97,960 (चार लाख सन्तानवे हजार नौ सौ साठ रुपये)/-मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में प्रदान करते हुए ₹2,48,980 (दो लाख अड़तालीस हजार नौ सौ अस्सी रुपये)/-मात्र का भुगतान किया गया था। शेष राशि अर्थात् कुल ₹2,48,980 (दो लाख अड़तालीस हजार नौ सौ अस्सी रुपये)/-मात्र का भुगतान कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त किया जाना था।

2. पुनः वित्तीय वर्ष 2026-27 में नियोजन भवन के ऊपरी हिस्से (DOME) में Facade Lighting हेतु ADV Creations, Patna द्वारा उपलब्ध कराये गये विपत्र के शेष राशि अर्थात् कुल ₹2,48,980 (दो लाख अड़तालीस हजार नौ सौ अस्सी रुपये)/-मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

3. यह राशि मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष -01-श्रम, लघुशीर्ष -101 औद्योगिक संबंध, उपशीर्ष 0109-कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण, मांग संख्या-26, विपत्र कोड-26-2230011010109 के अंतर्गत विषय शीर्ष 0109-52-01 मशीनें एवं उपस्कर कार्यालय से वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकलायीय होगा।

4. इस हेतु इस बजट शीर्ष के अंतर्गत ₹50.00 लाख (पचास लाख रुपये) मात्र का बजट उपबंध है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव (सरकार पक्ष), श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

6. स्कीम की स्वीकृति/राशि की विमुक्ति के प्रस्ताव पर सचिका संख्या-2/स्कीम-02-16/2025 के पृ० संख्या-25/टि० पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

7. स्वीकृतिदेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृष्ठ संख्या-23/टि० पर प्राप्त है।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

9. वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्गत स्वीकृतिदेश संख्या-421 दिनांक-05.03.2026 इस हद तक संशोधित किया जाता है।

8/07/09/2026
(उपेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव।

ज्ञाप संख्या-2/स्कीम-02-16/2025 श्र०सं०- 187 /पटना, दिनांक 07/09/26

प्रतिलिपि - 1 संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3. वित्त विभाग, व्यय शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

4. अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सरकार पक्ष, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. उप सचिव, प्रशाखा-02 (क्रय) सरकार पक्ष को उनके गै०स०प्रे०सं०-219 दिनांक-29.07.2026 के आलोक में आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6. लेखा शाखा सरकार पक्ष, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7. आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/09/2026
(उपेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव।